**संख्या:58/2025/428/35-4-2025/35-4099/43/2025पार्ट(1)**

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्तसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:11 अप्रैल,2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-वाराणसीमें निम्नलिखित कार्यों की रू. 2520.30 लाख (रूपये पचीस करोड़ बीस लाख तीस हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते पूर्णधनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यो के लिये ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कार्यदायी संस्था होगी:-

(लाख रू. में)

| क्रम सं0 | कार्य का नाम | लम्बाई (मी0) | अनुमोदित लागत | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अकथा वार्ड जनक नगर कालोनी तड़िया चकविही पंचकोशी रोड में शिव बहादुर के म०स० 16/9 टी से लेकर विमला देवी के म०सा० 16/9 के बी गाढ़ीघाट तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य | 83.10 | 4.14 | 4.14 |
| 2 | नारायणपुर वार्ड में रमाकांत शर्मा के मकान एस एच 6/41 से संध्या पांडे के मकान एस एच 6/43 तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य | 162 | 11.38 | 11.38 |
| 3 | सरसौली वार्ड में म0स0 एस0एच0 26/42 आर-7 विनोद सिंह के म0स0 से लेकर बृजनाथ तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 294.30 | 18.02 | 18.02 |
| 4 | सरसौली वार्ड में अशोक पुरम कॉलोनी में कलिन्दर सिंह के मकान से दैंत्राबीर बाबा मन्दिर होते हुए बीहबाबा मन्दिर की और इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य । | 180 | 19.24 | 19.24 |
| 5 | सारनाथ वार्ड अन्तर्गत संकट हरण हनुमान मन्दिर के उत्तर तरफ संकट हरण कॉलोनी में इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य । | 410 | 32.90 | 32.90 |
| 6 | वार्ड अकथा अन्तर्गत श्री नगर फेस-2 में चन्द्रप्रकाश मिश्रा के घर तक कच्चे मार्ग पर इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य । | 70 | 6.28 | 6.28 |
| 7 | सारनाथ वार्ड अंतर्गत खजूही अशोका इन्क्लेव में स्थित अरजी न0 224 बबीता भारती के प्लाट से परमेश्वर सिंह के प्लाट से आनंद विश्वकर्मा से घनश्याम यादव के मकान से दामोदर सिंह के मकान होते हुए दिनेश प्रजपति दयाशंकर पाठक वगैरह के मकान तक कच्चे रास्ते पर पिच निर्माण कार्य | 700 | 34.08 | 34.08 |
| 8 | सरसौली वार्ड अंतर्गत राजीव नगर कालोनी में सुरजन यादव के म0स0 सी 3/37 से एस एच 3/34 ए चतुरी यादव के घर तक इतरलाकिंग निर्माण कार्य | 278.50 | 17.17 | 17.17 |
| 9 | काजीसादुल्लापूरा के संजय नगर कालोनी में मकान न० 13/93अ आद्या प्रसाद शर्मा के मकान से निजला उपाध्याय के मकान तक पटरी में इन्टरलाकिंग इंटरलाकिंग निर्माण कार्य | 84 | 9.54 | 9.54 |
| 10 | वार्ड तरना अंतर्गत बाइपास मार्ग से बखेडु राम एडवोकेट मकान से वाया बुद्धिराम प्रजपति के मकान तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य | 408.90 | 11.57 | 11.57 |
| 11 | अकथा वार्ड मा० वैष्णो कालोनी तड़ीया चकविही सोना तालाब में रमेश | 386.60 | 26.41 | 26.41 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | कान्त मिश्रा अधिवक्ता के सामने से लेकर प्रेम कन्नौजिया के मकान से होते हुए रवि कुमार सिंह, शशि तिवारी के मकान तक सड़क निर्माण का कार्य | | | |
| 12 | नारायनपुर वार्ड अंतर्गत महादेव नगर कालोनी लक्ष्मनपुर में साव जी जनरल स्टोर से सोहन सिंह के मकान नं० एसएच-5 के से रमाशंकर मौर्य के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य | 180 | 5.71 | 5.71 |
| 13 | कठवतिया नारायणपुर सुरेश प्रजापति के घर से आलू जय के घर तक सीवर व इंटरलाकिंग निर्माण | 219.50 | 22.73 | 22.73 |
| 14 | बुद्धनगर कालोनी परशुरामपुर सारनाथ में ओमप्रकाश मौर्य मकान न० sa8/62a-381a से कामान नं० sa-r-c-2 रीना यादव तक इंटरलाकिंग कार्य | 75 | 4.87 | 4.87 |
| 15 | वार्ड नदेसर में मन्टू जायसवाल के मकान एस 17/2 से एस 17/31-9 अहिरानी गली में सामुदायिक शौचालय के पास इंटरलाकिंग निर्माण कार्य | 38 | 2.04 | 2.04 |
| 16 | सिन्धोरा-भोजुबीर मार्ग से शिवपुर मार्ग के सामने से महेन्द्र पटेल के भट्ठा से होते हुए पटेल बस्ती नार तक सडक नव निर्माण (पिच रोड) का कार्य । | 1000 | 41.87 | 41.87 |
| 17 | ग्राम सभा चारों में बजरंग नगर पिच रोड से खडखडी ब्राम्हण बस्ती मनोज पाण्डेय के घर तक सडक नव निर्माण का कार्य । | 900 | 37.04 | 37.04 |
| 18 | ग्राम सभा सराय शेखलार्ड में प्राथमिक विद्यालय पिच रोड से राजभर बस्ती तक सडक नव निर्माण का कार्य। | 960 | 42.66 | 42.66 |
| 19 | ग्राम सभा घोघली में घोघली-घोघरी सम्पर्क मार्ग से घोघरी प्रेम नगर सम्पर्क मार्ग तक सडक का निर्माण का कार्य। | 1000 | 39.37 | 39.37 |
| 20 | पिण्डरा पिण्डराई मार्ग से पिण्डरा असवालपुर मार्ग तक पिच रोड का नव निर्माण का कार्य। | 1080 | 44.62 | 44.62 |
| 21 | ग्राम सभा रतनुपुर में बसनी करमपुर पिच रोड से रतनपुर मार्ग तक सडक नव निर्माण कार्य। | 630 | 27.59 | 27.59 |
| 22 | ग्राम सभा गांगकला में बचाउ लाल पटेल के निवास से देवचन्दपुर मार्ग तक सडक नव निर्माण | 830 | 44.05 | 44.05 |
| 23 | कछवां कपसेठी मार्ग में कुरु राजपुत बस्ती व विश्वकर्मा बस्ती तक सडक नव निर्माण का कार्य (इण्टरलाकिंग) | 550 | 22.81 | 22.81 |
| 24 | ग्राम सभा लछीरामपुर हरिजन बस्ती से (गोसाईपुर) नन्दलालपुर चौहान बस्ती तक सडक नव निर्माण का कार्य। | 850 | 44.35 | 44.35 |
| 25 | ग्राम सभा हसनपुर में भीटी साईपुर मार्ग पर हसनपुर त्रिमुहानी (चौडी पर) से ग्राम सभा चंगवार ए० एन०एम० सेन्टर तक पिच रोड का निर्माण कार्य। | 930 | 37.28 | 37.28 |
| 26 | कुआर साधोगंज मार्ग पर निमाइच मुसहर बस्ती से रामपुर अनेई मार्ग तक पिच रोड का निर्माण कार्य। | 980 | 58.57 | 58.57 |
| 27 | ग्राम सभा गंगापुर में बाबतपुर- चौबेपुर मार्ग से ग्राम सभा अमौत नट बस्ती पक्की सडक तक पिच रोड निर्माण कार्य। | 1100 | 46.43 | 46.43 |
| 28 | ग्राम सभा तिलवार में राजकुमार पटेल के घर से नन्दलाल पटेल के घर तक पिच रोड का निर्माण कार्य। | 550 | 23.70 | 23.70 |
| 29 | ग्राम सभा अमउत में भैयालाल प्रजापति के मशीन से जेंगर भुआल पटेल के घर तक पिच रोड का निर्माण कार्य। | 330 | 11.69 | 11.69 |
| 30 | ग्राम सभा अमौत (महाकाली मन्दिर मार्ग) में अमौत पक्की सडक से ग्राम सभा रामनगर पक्की सडक पिच रोड का नव निर्माण का कार्य। | 375 | 15.01 | 15.01 |
| 31 | ग्राम सभा सगुनहा में एयरपोर्ट मार्ग पर सन्तोश सिंह बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान से घनश्याम पटेल के मकान तक पिच रोड तक नव निर्माण का कार्य । | 900 | 33.42 | 33.42 |
| 32 | ग्राम सभा परसरा में गोढिया लिंक मार्ग जगत नारायण स्कूल से चौहान बस्ती होते हुए विश्वकर्मा बस्ती तक सडक नव निर्माण का कार्य। | 1200 | 57.16 | 57.16 |
| 33 | ग्राम सभा महिमापुर सम्पर्क मार्ग बनवासी बस्ती से अरविन्द राजभर के | 1500 | 84.93 | 84.93 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | मकान से होते हुए दुर्जनपुर तक पिच का नव निर्माण कार्य। | | | |
| 34 | विकास खण्ड पिण्डरा में ग्राम सभा मरुई में घेचुरी होते हुए धरसौना मार्ग तक पिच रोड निर्माण का कार्य। | 2420 | 103.82 | 103.82 |
| 35 | ग्राम करखियांव प्रा०वि० से नेशनल हाइवे 56 तक पिच मार्ग का निर्माण कार्य। | 1575 | 66.28 | 66.28 |
| 36 | फत्तेपुर चितौरा मार्ग से नारायणपुर होते हुए कामापुर तक नव निर्माण कार्य। | 900 | 38.65 | 38.65 |
| 37 | ग्राम सभा गजोखर में फुलपुर सिन्धोरा मुख्य मार्ग से जितेन्द्र राजभर के घर से होते हुए विजय यादव के घर तक सडक नव निर्माण का कार्य। | 1250 | 59.31 | 59.31 |
| 38 | ग्राम सभा कुडी में टावर से होते हुए बनवासी बस्ती होते पावर हाउस से होते हुए स्व० उत्तम राजभर के घर तक सडक नव निर्माण का कार्य। | 1000 | 59.31 | 59.31 |
| 39 | ग्राम सभा बरवा में हरिजन बस्ती से बेचन सिंह के घर तक सडक का नव निर्माण का कार्य। | 550 | 21.50 | 21.50 |
| 40 | ग्राम सभा जलालपुर मुख्य मार्ग से कामापुर रोड तक सडक का नव निर्माण का कार्य। | 390 | 17.06 | 17.06 |
| 41 | ग्राम सभा बिन्दा में चन्द्रभान चौहान के दुकान से नाद नदी तक सडक नव निर्माण का कार्य।(इण्टरलाकिंग) | 700 | 37.01 | 37.01 |
| 42 | ग्राम सभा सुरही में सोनु सिंह के घर बिन्द बस्ती बाहा तक सडक नव निर्माण का कार्य। (इण्टरलाकिंग) | 700 | 31.07 | 31.07 |
| 43 | देवजी पतिराजपुर मुख्य मार्ग से बढौना मुख्य मार्ग तक सडक का नव निर्माण का कार्य। | 1600 | 75.73 | 75.73 |
| 44 | ग्राम सभा भैंसोडी में नव पुरवा के बार्डर तक सड़क / इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 800 | 43.44 | 43.44 |
| 45 | ग्राम सभा सॉई में मुख्य मार्ग से श्री मनोज मिश्रा के घर तक सड़क एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 350 | 19.16 | 19.16 |
| 46 | ग्राम सभा अहमदपुर में रिंग रोड से मौर्य बस्ती होते हुए मौर्या जी के पान की दुकान तक इण्टरलाकिंग एवं सड़क निर्माण कार्य। | 650 | 34.00 | 34.00 |
| 47 | ग्राम सभा जयरामपुर में पंचायत भवन से श्री गुच्चुन राजभर के घर तक सड़क एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य ।। | 150 | 9.20 | 9.20 |
| 48 | ग्राम सभा बराई में श्री वीरेन्द्र मौर्या के घर से श्रीमती लक्ष्मीना राजभर के घर तक सडक / इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 325 | 20.40 | 20.40 |
| 49 | ग्राम सभा सरैयों न0-2 में लिंक रोड से श्री ओमप्रकाश, मिठठू, बिरजू राजभर के घर से होते हुए लिंक रोड तक सड़क का निर्माण कार्य। | 550 | 32.34 | 32.34 |
| 50 | भगतुओं चौबेपुर मार्ग पर पंचायत भवन के पास से शिवदशा राजभर बस्ती में श्री किशन राजभर के घर तक सड़क निर्माण कार्य। | 650 | 37.65 | 37.65 |
| 51 | ग्राम सभा नेवादा में श्री अशोक गुप्ता की दुकान से श्री राजेन्द्र मौर्या के घर से आगे अन्तिम भाग तक सडक एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 230 | 11.62 | 11.62 |
| 52 | ग्राम सभा नेवादा-कमौली मुख्य से श्री नन्दलाल के घर तक सड़क एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 150 | 10.39 | 10.39 |
| 53 | ग्राम सभा दानूपुर लोढ़ान में नागा बाबा मन्दिर से सॉई उपवन कालोनी के गेट तक सड़क / इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 660 | 36.42 | 36.42 |
| 54 | ग्राम सभा नरपतपुर में पिच रोड से श्री हीरामन के जमीन से श्री बाबूलाल के घर होते हुए श्री अखिलेश मिश्रा के घर तक सड़क इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 610 | 34.47 | 34.47 |
| 55 | ग्राम सभा सिरिष्ट में प्राइमरी स्कूल से श्री संकठा सिंह के घर तक सड़क / इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 350 | 22.91 | 22.91 |
| 56 | ग्राम सभा भवानीपुर में मुख्य मार्ग से झरी माता मन्दिर से होते हुए श्री अरविन्द पटेल के घर तक होते हुए यूनियन बैंक मुख्य मार्ग तक सड़क | 550 | 23.57 | 23.57 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | / इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | | | |
| 57 | वाराणसी-गाजीपुर मुख्य मार्ग से डुबकियाँ मार्ग पर पटरी पर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 500 | 16.74 | 16.74 |
| 58 | ग्राम सभा पियरी में श्री लालजी के खेत से फक्कड़ पटेल के मशीन तक सड़क / इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य | 460 | 31.11 | 31.11 |
| 59 | ग्राम सभा कोदोपुर में श्री जवाहर राजभर के घर से स्व० राममूरत राजभर के घर तक सड़क / इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 400 | 23.23 | 23.23 |
| 60 | ग्राम सभा सिंघवार में माँ शारदा शिक्षा निकेतन स्कूल से श्री अर्जुन राजभर के घर तक सड़क और सीवर का निर्माण कार्य। | 650 | 47.04 | 47.04 |
| 61 | ग्राम सभा आदमपुर, फकीरपुर अमौलिया में पिच रोड से राजभर बस्ती के आखिरी छोर तक सड़क एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 300 | 16.36 | 16.36 |
| 62 | ग्राम सभा उमरहा में मुख्य मार्ग से नव गृह मन्दिर तक सड़क का निर्माण कार्य । | 750 | 39.31 | 39.31 |
| 63 | ग्राम सभा ऐढ़े में चौहान एवं राजभर बस्ती में सड़क / इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 750 | 43.73 | 43.73 |
| 64 | ग्राम सभा मुरीदपुर में श्री बुलेन्द्र चौबे के घर से श्री नन्दलाल चौबे के घर तक सड़क एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 180 | 10.57 | 10.57 |
| 65 | ग्राम सभा परनापुर में पंचायत भवन के पास से तीन पेड़वा मौनी बाबा कुटी तक सड़क एवं इण्टरलाकिंग / खड़न्जा का निर्माण कार्य। | 1200 | 72.69 | 72.69 |
| 66 | भगवती धाम मन्दिर से सुरतापुर तक सड़क / इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 2500 | 94.94 | 94.94 |
| 67 | ग्राम सभा मिशिरपुरा में श्री हीरा मिश्र के घर से श्री जोगेन्द्र मिश्र के घर से होते हुए श्री कैलाश के घर तक सड़क एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 465 | 28.84 | 28.84 |
| 68 | ग्राम सभा जाल्हूपुर में मुख्य मार्ग से श्री मिथलेश दिक्षित के घर तक सड़क एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 160 | 11.48 | 11.48 |
| 69 | ग्राम सभा भगतुआ में मुख्य मार्ग से डा० प्रमोद के घर तक सड़क एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 530 | 32.73 | 32.73 |
| 70 | ग्राम सभा बराई में रिंग रोड से श्री रामा राजभर के घर तक सड़क एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 235 | 14.47 | 14.47 |
| 71 | ग्राम सभा अमरपट्टी में श्री जयमूरत के खेत से चौरा माता मन्दिर होते हुए श्री कपिल के मशीन तक इण्टरलाकिंग का कार्य। | 170 | 9.96 | 9.96 |
| 72 | रमना पिच रोड से सन्दीप गुप्ता के घर तक सड़क निर्माण कार्य। | 500 | 30.82 | 30.82 |
| 73 | विशुनपुर रोहनिया कौरोता मार्ग पर दीनबन्धु सिंह के मकान से घाटमपुर मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य। | 900 | 43.53 | 43.53 |
| 74 | ग्राम सरहरी में राजेन्द्र प्रधान के घर से सीताराम पटेल के घर होते हुए छितोनी पिसौरपुर तक जल निकासी कार्य। | 2500 | 87.34 | 87.34 |
| 75 | ग्राम अलाउद्दीनपुर खपड़हवा में प्यारेलाल पटेल के घर से जोखु पटेल के घर होते हुए गोपालपुर सिटकहवा बाबा मन्दिर तक जल निकासी कार्य। | 1500 | 55.48 | 55.48 |
| 76 | ग्राम खेवसीपुर में डा०सेवाराम के मकान से अजय पटेल के घर तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य । | 470 | 16.98 | 16.98 |
| 77 | ग्राम खेवली में मंगला राजभर के दुकान से मोहन सिंह के मकान होते हुए पोस्ट आफिस चौराहा तक जल निकासी का कार्य। | 250 | 9.01 | 9.01 |
| | **योग** | **51714.9** | **2520.30** | **2520.30** |

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

4. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

6. कार्य का निर्माण,लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

7. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों,समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

9. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

11. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

12. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

13. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

16. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

17. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

18. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

19. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

20. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
21. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
22. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।
23. प्रयोजनान्तर्गत नियमानुसार 18प्रतिशतजी0एस0टी0 अनुमन्य कर दी गई है। जी0एस0टी0 की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से सम्बन्धित सामग्री की लागत प्रायोजना में उपभोग (CONSUMED) की गयी सामग्री यथा-सीमेन्ट, स्टील इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।
24. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

25. प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

26. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्तधनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

2- इस संबंध में (1) क्रमांक 5से7 पर अंकित कार्यों पर होने वाला व्यय**रू.73,26,000/-**(रूपये तिहत्तर लाख छब्बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या040लेखाशीर्षक **5054043370302**-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिए एकमुश्त व्यवस्थामानक मद 24वृहत निर्माण कार्य के नामे,(2) क्रमांक 74 से 77 पर अंकित कार्यों पर होने वाला व्यय **रू. 1,68,81,000/-**(रूपये एक करोड़ अढ़सठ लाख इक्यासीहजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक

**4215021010301**-जल निकासी कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24वृहत निर्माण कार्य के नामे एवं (3) शेष कार्यों (क्रमांक 1 से 4 एवं 8 से 73) पर होने वाला व्यय **रू. 22,78,23,000/-**(रूपये बाइस करोडअठहत्तर लाख तेइसहजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक **5054043370301**-ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्ति (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

**संख्या:58/2025/428(1)/35-4-2025/35-4099/43/2025Part-(1) तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, वाराणसी।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक,स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, वाराणसी।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, वाराणसी।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।